भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3261
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिना जलापूर्ति वाले नल के कनेक्शन

3261. प्रो. सौगत रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन नल कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें जल की उपलब्धता की कमी के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है;
(ख) क्या सरकार ने अंतर को पाटने के लिए कम कवरेज बाले या बिना जलापूर्ति वाले क्षेत्रों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है अथवा प्रस्ताव किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्तमान में देश में उन परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके पास नल के पानी की सुविधा नहीं है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों के पास उनके

घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.54 करोड़ परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 03.03.2026 तक देश भर में नल जल आपूर्ति की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत प्रदान किए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आकलन करता है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 761 जिलों में 2,37,608 परिवारों को कवर करते हुए 19,812 हर घर जल (एचजीजे) गांवों में कार्यशीलता मूल्यांकन 2024 आयोजित किया गया था। यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1 प्रतिशत परिवारों में नल कनेक्शन उपलब्ध थे। इनमें से 86.5 प्रतिशत परिवारों के पास कार्यशील नल कनेक्शन थे, 80.2 प्रतिशत परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था, 83.6 प्रतिशत परिवारों को उनकी पाइपगत जलापूर्ति योजना के लिए जलापूर्ति की अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से पानी मिल रहा था, और 76 प्रतिशत परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार पानी मिल रहा था। कार्यशीलता मूल्यांकन 2024 की विस्तृत राष्ट्रीय और राज्य-वार रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे लिंक https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-report-2024 पर देखा जा सकता है।

***

अनुबंध

दिनांक 12.03-2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3261 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

03.03.2026 तक देश भर में नल जल आपूर्ति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख में कुल ग्रामीण परिवार	नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		नल जल आपूर्ति रहित ग्रामीण परिवार	
			संख्या में	%	संख्या में	%
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100.00	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	95.53	71.71	75.06	23.82	24.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	2.29	100.00	-	-
4.	असम	72.24	59.03	81.71	13.22	18.29
5.	बिहार	167.55	160.36	95.71	7.19	4.29
6.	छत्तीसगढ़	49.97	41.20	82.44	8.77	17.56
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.85	100.00	-	-
8.	गोवा	2.64	2.64	100.00	-	-
9.	गुजरात	91.18	91.18	100.00	-	-
10.	हरियाणा	30.41	30.41	100.00	-	-
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	17.09	100.00	-	-
12.	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	15.64	81.23	3.61	18.77
13.	झारखंड	62.53	34.51	55.18	28.03	44.82
14.	कर्नाटक	101.31	87.83	86.70	13.48	13.30
15.	केरल	70.77	38.84	54.88	31.93	45.12
16.	लद्दाख	0.41	0.40	97.97	0.01	2.03
17.	मध्य प्रदेश	0.13	0.12	91.45	0.01	8.55
18.	महाराष्ट्र	111.29	82.27	73.92	29.02	26.08
19.	मणिपुर	146.78	132.75	90.44	14.02	9.56
20.	मेघालय	4.52	3.59	79.60	0.92	20.40
21.	मिजोरम	6.51	5.43	83.47	1.08	16.53
22.	नागालैंड	1.33	1.33	100.00	-	-
23.	ओडिशा	3.64	3.44	94.47	0.20	5.53
24.	पुदुचेरी	88.64	68.48	77.25	20.17	22.75
25.	पंजाब	1.15	1.15	100.00	-	-
26.	राजस्थान	34.27	34.27	100.00	-	-
27.	सिक्किम	107.69	63.00	58.50	44.69	41.50
28.	तमिलनाडु	1.33	1.22	92.09	0.11	7.91
29.	तेलंगाना	125.26	112.20	89.57	13.06	10.43
30.	त्रिपुरा	53.98	53.98	100.00	-	-
31.	उत्तर प्रदेश	7.51	6.48	86.33	1.03	13.67
32.	उत्तराखंड	267.20	243.72	91.21	23.48	8.79
33.	पश्चिम बंगाल	14.48	14.19	97.97	0.29	2.03
कुल		**19,35.87**	**15,81.70**		**3,54.17**	**18.29**

एचएच: परिवार   स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

*****